Land

न्यायालय परगनाधिकारी/सहा0कलैक्टर प्रथम श्रेणी बाजपुर कैम्प गदरपुर।

वाद संख्या 22/ 142 सन् 2010—11

वादीगण :— श्री मॉ सरस्वती चैरिटेबिल ट्रस्ट ए0जी0 एम0 54 गल्ला मण्डी रूद्रपुर चेयरमैन हरिओम कुमार गर्ग पुत्र राधा चरन गर्ग निवासी कल्याणी व्यू रूद्रपुर।

बनाम

प्रतिवादीगणः— सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य।

अन्तर्गत धारा 143 ज.वि.एवं भु.सु.अधि.

निर्णय

प्रस्तुत वाद वादी उपरोक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 143 ज0 वि0 एवं भू0 सु0 अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया हैं कि ग्राम अलखदेवी तहसील गदरपुर जिला उधमसिंहनगर के खाता नं0 138 के खसरा नं0 114 रकवा 1.642 है0, खसरा नं0 124 क रकबा 0.0400 है0, खसरा नं0 123 ग रकबा 0.809 है0 कुल रकबा 2.491 है0 लगानी 60.60 रूपये भूमि श्री मॉ सरस्वती चैरिटेबिल ट्रस्ट ए0जी0एम0 54 गल्ला मण्डी रूद्रपुर चेयरमैन हरिओम कुमार गर्ग पुत्र राधा चरन गर्ग निवासी कल्याणी व्यू रूद्रपुर जिला उधमसिंह नगर के नाम वर्ग— 1 (क) संक्रमणीय भूमिधर में रजिस्ट्री बैनामे के रूप में दर्ज अभिलेख है, को अकृषक घोषित कराना चाहता हैं। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 25.07.2011 पर तहसीलदार गदरपुर से आख्या प्राप्त की गई। तहसीलदार गदरपुर द्वारा अपनी आख्या दिनांक 19.08.2011 द्वारा अवगत कराया है कि प्रार्थी ग्राम अलखदेवी तहसील गदरपुर स्थित खाता नं0 138 के खसरा नं0 114 रकवा 1.642 है0, खसरा नं0 124 क रकबा 0.0400 है0, खसरा नं0 123 ग रकबा 0.809 है0 कुल रकबा 2.491 है0 लगानी 60.60 रूपये उक्त भूमि में एम0बी0ए0, बी0बी0ए0, बी0एड0 कालेज की बिल्डिंग व ग्राउंड व आवासीय परिसर बना हुआ है। उक्त भूमि में कुक्कट पालन, मतस्य पालन का कार्य नही हो रहा है भूमि अकृषक घोषित किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार गदरपुंर की आख्या एवं पक्षकारान को सुनने के उपरान्त प्रश्नगत भूमि को अकृषक धोषित किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है ।

आदेश

अतः ग्राम अलखदेवी तहसील गदरपुर के खाता नं0 138 के खसरा नं0 114 रकवा 1.642 है0, खसरा नं0 124 क रकबा 0.0400 है0, खसरा नं0 123 ग रकबा 0.809 है0 कुल रकबा 2.491 है0 लगानी 60.60 रूपये जो वादीगण उपरोक्त के नाम संकमणीय भूमिधरी में दर्ज अभिलेख है को अकृषक में परिवर्तित किया जाता है। उसी अनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही दा0द0 होवे ।

दिनांक 19 — 9 —2011

नकल तैयार कर्ता छाया प्रति
नकल मिलान कर्ता
शब्दो की संख्या 250 लगभग

(फिंचाराम चौहान)
परगनाधिकारी/सहा0कलैक्टर प्रथम श्रेणी
बाजपुर कैम्प गंदरपुर ।

(सत्य प्रतिलिपि)
7/10/11
रीडर
परगनाधिकारी बाजपुर कैम्प गदरपुर

Saraswati Institute of Management & Technology

Chairman

नकल लेने हेतु आवेदन पत्र देने की तारीख	नोटिस बौर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख	नकल जारी करने की तारीख	नकल जारी करने वाले अधिकारी / कर्मचारी के हस्ताक्षर
231 4-10-2011	6-10-2011	6-10-2011	उप जिलाधिकारी गदरपुर उत्तराखण्ड

न्यायालय परगनाधिकारी / सहा० कलैक्टर प्रथम श्रेणी बाजपुर कैम्प गदरपुर जिला ऊ०सि०नगर

वाद सं० 22/142 सन् 2010/2011 धारा 143 ज०वि०स्व भू०सु० अधि०

वादीः- श्री माँ सरस्वती चैरिटेबिल ट्रस्ट ए०बी०रम०54 गल्लामण्डी रुद्रपुर चेयरमैन रविन्द्र कुमार शर्मा पुत्र राधा चरन शर्मा निवासी

बनाम कल्याणी व्यू रुद्रपुर

प्रतिवादीः सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य

मौजा अलखदेवी तहसीलगदरपुर

संलग्नकः- नकल निर्णय आदेश दि० 19-9-2011 की प्रमाणित छायाप्रति।

उप जिलाधिकारी गदरपुर उत्तराखण्ड 7/10/11

Saraswati Institute of Management & Technology

Chairman

C.C.52 3/14-4

न्यायालय परगनाधिकारी/सहा०कल०प्र०श्रेणी रूद्रपुर उ०सिंह नगर ।

वाद सं० 22/20 वर्ष 2001-2002

वादी:- मां सरस्वती चैरिटेबिल ट्रस्ट रजिस्टर्ड,
रूद्रपुर जिला उधमसिंह नगर

बनाम सरकार

धारा 143 ZA L.R. Act

आदेश

पेशकार गदरपुर कि आख्या दिनांक 16-2-2002 से संतुष्ट होते हुये आदेश पारित किया जाता है कि ग्राम अलखदेवी तहसील गदरपुर के खेत नं० 60/1मि० रकबा 0-809हे० भूमि एवं खेत नं० 59/1/2 रकबा 0-841हे० भूमि व खेत नं० 59/1/1 रकबा 0-841हे० भूमि कुल रकबा 2-491 हे० भूमि लगानी 66-30 जिनके खाता खतौनी नम्बर क्रमशः 6,9,10 है मां सरस्वती चैरिटेबिल ट्रस्ट के नाम श्रेणी -1क संक्रमणीय भूमिधर दर्ज अभिलेख है को अकृषक घोषित किया जाता है । अतः तद्नुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन हेतु परवाना अमलदरामद जारी हो ।

दिनांक — 22-2-2002

परगनाधिकारी/सहा०कल०प्र०
श्रेणी रूद्रपुर ।
जनपद उधमसिंहनगर ।